



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 29 नवम्बर, 2023

अग्रहायण 8, 1945 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

संख्या यू०पी०ई०आर०सी०/सचिव/विनियमावली/003

लखनऊ, 29 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) की धारा 91 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सभी अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके और पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात् :-

1-संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियमावली, 2023 कही जाएगी।

(2) यह विनियमावली सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-परिभाषाएं-

(1) इस विनियमावली में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य विद्युत अधिनियम, 2003 से है;

(ख) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है;

(ग) 'सदस्य' का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है;

(घ) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से है;

(ङ) 'परामर्शी' में कोई व्यक्ति, फर्म, निकाय या व्यक्तियों का संघ, जो आयोग के नियोजन में न हो, जो कोई विशिष्ट ज्ञान, अनुभव या कौशल रखता हो या उसको वह सुगम हो, सम्मिलित है;

(च) 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' या 'सी ई सी' का तात्पर्य विनियमन 6, 7 और 9 के अधीन गठित समिति से है;

(छ) 'अधिकारी' का तात्पर्य आयोग के अधिकारी से है;

(ज) 'सचिवालय' का तात्पर्य आयोग के सचिवालय से है इसमें वे अधिकारी सम्मिलित हैं जिन्हें उस कार्य क्षेत्र का ज्ञान है जिसके लिए परामर्शी सेवाएं प्राप्त की जानी हैं;

(झ) 'सचिव' का तात्पर्य आयोग के सचिव से है।

(2) उपर्युक्त के सिवाय और जब तक कोई बात संदर्भ के प्रतिकूल न हो या यदि विषय वस्तु अन्यथा अपेक्षित हो, इस विनियमावली में प्रयुक्त शब्द और पदों का, जो इसमें परिभाषित नहीं है, लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में परिभाषित है।

3-कार्य क्षेत्र-

- (1) परामर्शियों के लिए निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए रखा जा सकता है, अर्थात्-
- (क) आयोग से सुसंगत विशिष्ट विषयों पर और उसके हित में सटीक सलाह देने के लिए;
- (ख) श्रेष्ठतम पद्धतियों, डाटा विश्लेषण, मानकों का विकास या किसी अन्य ऐसे प्रयोजन के लिए अध्ययन करना;
- (ग) अनुभव और अर्हता की अपेक्षा वाले कार्यों का संपादन जो अर्हता आयोग में उपलब्ध नहीं है या आयोग के विचार से, गुणवत्ता, समय या किसी अन्य दृष्टि से परामर्शी का उपयोग कार्य को दक्ष रीति से पूरा करने के लिए अधिक प्रभावी होगा।
- (घ) यदि आयोग का समाधान हो कि आयोग के कार्य की मात्रा में वृद्धि हो रही है या नियमित पदों को विभिन्न मजबूरियों के कारण भरा नहीं जा सकता, तो आयोग को कृत्यों के निष्पादन में सहयोग करना।
- (ङ) यदि आयोग आवश्यक समझे तो आयोग के कृत्यों के निष्पादन में सामान्यतया सहयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना।

4-नियोजन की अवधि-

परामर्शियों के लिये यथा अपेक्षित न्यूनतम अवधि के लिए विनियोजित किया जाएगा और किसी भी दशा में परामर्शी का विनियोजन अनवरत चार वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगा।

5-परामर्शियों का वर्गीकरण-

परामर्शियों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा;

- (क) व्यावसायिक परामर्शी फर्म
 (ख) व्यक्तिशः परामर्शी
 (ग) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी
 (घ) व्यावसायिक विशेषज्ञ

6-व्यावसायिक परामर्शी फर्म-

1-आयोग का समाधान होने पर कि परामर्शी सेवाओं के उपयोग की आवश्यकता है जो कि उसके विचार से किसी फर्म या कंपनी या संघ या व्यक्तियों के निकाय द्वारा अधिक समुचित रूप से दी जा सकती है या जब प्रौद्योगिकी, विनियामक, वित्त और विधिक आदि भिन्न-भिन्न पृष्ठ भूमि के दो से अधिक स्रोतों का सामूहिक कार्य समाविष्ट हो और किसी विशिष्ट कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित हो तो आयोग उन व्यावसायिक परामर्शी फर्मों को नियोजित करने का विनिश्चय कर सकता है जिनके पास विभिन्न राज्यों और हितधारकों में इसी प्रकार के कार्यों का पूर्व में पुष्ट अनुभव हो। इस विनियम में व्यावसायिक परामर्शी फर्म के उल्लेख में सहकार्य करने वाली संस्था भी सम्मिलित होगी।

2-सचिवालय बोली लगाने के दस्तावेज तैयार करेगा जिनमें कार्य के क्षेत्र के अलावा, विभिन्न परिदेयों, मानकों और प्रत्येक मानक और प्ररूप निविदा की उपलब्धि को संयोजित करते हुए देयों की अनुसूची को इंगित करते हुए संदर्भ के निबंधन सम्मिलित हैं।

3-अध्यक्ष सी ई सी का गठन करेगा जिसमें सचिव, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखा अधिकारी और अध्यक्ष द्वारा नामित निदेशक स्तर के उपयुक्त अधिकारी, समाविष्ट होंगे।

4-सी ई सी आवश्यक उपांतर के बाद, यदि कोई हो, परामर्शी के अभियोजन के लिए संदर्भ के निबंधन सम्मिलित करते हुए बोली लगाने के दस्तावेजों पर आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगी।

5-सी ई सी, प्रौद्योगिक प्रस्ताव को न्यूनतम 70% अधिमान देते हुए, बोलियों के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए प्रत्येक मानक को आवंटित किए जाने वाले अधिमान का विनिश्चय करेगी:

परंतु यह कि प्रौद्योगिकी प्रस्ताव के 70% अधिमान के आवंटन की सीमा में अधिकतम 80% तक वृद्धि की जा सकती है यदि कार्य की प्रकृति के आधार पर आयोग ऐसा करना उचित समझे।

6-खण्ड (5) के अधीन अधिमानों को अंतिम रूप देने के पश्चात् सचिव कम से कम दो समाचार पत्रों में सूचना के प्रकाशन के माध्यम से, और आयोग की वेबसाइट पर भी यथासंभव तीन सप्ताह से अन्यून की सूचना देकर प्रौद्योगिकी और वित्तीय प्रस्तावों के वास्ते पृथक मुहरबंद लिफाफों में एकल बोलियाँ आमंत्रित करेगा:

परंतु यह कि आत्ययिकता की स्थिति में सूचना की अवधि को तीन सप्ताह से कम किया जा सकता है लेकिन दो सप्ताह से कम नहीं किया जायगा जो भी अध्यक्ष के अनुमोदन से निश्चय किया जाए।

7-प्रत्येक मानक को आवंटित पूर्व-निर्धारित अधिमानों के आधार पर 'संयुक्त-गुणवत्ता-एवं-मूल्य-आधारित प्रणाली' के माध्यम से सी ई सी बोलियों का मूल्यांकन करेगी:

परंतु यह कि सी ई सी तब तक बोलियों का मूल्यांकन प्रारंभ नहीं करेगी जब तक कि कम से कम तीन विधि मान्य बोलियाँ प्राप्त न हो जाएं:

परंतु यह और कि तीन विधिमान्य बोलियों की शर्त में आयोग के पूर्व अनुमोदन से छूट दी जा सकती है यदि बोलियाँ पर्याप्त संख्या में प्राप्त न हों।

8-आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् व्यावसायिक परामर्शी फर्म को नियोजित किया जाएगा।

9-व्यावसायिक परामर्शी फर्म की नियुक्ति या तो प्रतिधारण या कार्य निष्पादन की प्रकृति पर आधारित मानक के आधार पर की जाएगी और उसे बोली के दस्तावेज में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

10-इस विनियमावली में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया पर आधारित किसी कार्य निष्पादन के लिए नियुक्त व्यावसायिक परामर्शी फर्म बोली के दस्तावेज में यथा विनिर्दिष्ट स्रोतों को अभिनियोजित करेगी।

11-इस विनियमन में किसी भी बात के बावजूद, अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों में और जिसमें वित्तीय प्रतिबद्धता दस लाख रुपये से अधिक होने की संभावना नहीं है आयोग निविदा प्रक्रिया के बिना एकल सोर्सिंग के आधार पर व्यावसायिक परामर्शी फर्म की परामर्श सेवायें ले सकता है।

12-इस विनियमन में किसी भी बात के बावजूद आयोग में कार्य निष्पादन के विचार विमर्श के लिए, आयोग की वेबसाइट पर विज्ञापित और समाचार पत्रों के विज्ञापन के माध्यम से अभिरूचि की अभिव्यक्ति के सापेक्ष प्राप्त उत्तरों के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट मापदण्ड के अनुसार मूल्यांकन पर आधारित व्यावसायिक परामर्शी फर्मों/अभिकरणों/संस्थाओं/विश्वविद्यालयों का आयोग के अनुमोदन से सी ई सी सूचीकरण करेगी और पैनल तैयार करेगी। अभिरूचि की अभिव्यक्ति से संबंधित पृच्छा में अन्य बातों के साथ-साथ प्रश्नगत कार्य निष्पादन का विस्तृत स्वरूप, परामर्शियों द्वारा पूर्ण की जाने वाली पात्रता और पूर्व अर्हता संबंधी मापदंड, परामर्शी के इस प्रकार के कार्य और सेवा का पूर्व अनुभव सम्मिलित होगा। सूचीकृत व्यावसायिक परामर्शी फर्मों/अभिकरणों/संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों की संख्या अधिकतम तीन होगी।

आयोग के अनुमोदन के पश्चात् सी ई सी द्वारा बनाया गया पैनल दो वर्ष के लिए विधि मान्य होगा। आयोग पैनल की विधि मान्यता में एक और वर्ष की वृद्धि कर सकता है।

आयोग का यह विकल्प रहेगा कि वह अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार या तो मानकीकृत संविदाओं के आधार पर या पैनल में से फर्मों के व्यक्तिशः अनुभवी परामर्शियों की चयनीकृत सेवाओं के आधार पर परामर्शी सेवाओं में नियोजन कर ले। आयोग का यह अधिकार रहेगा कि वह कार्य संपादन/योग्यता के अभाव में अभिनियोजित परामर्शियों को या व्यक्ति की अनुपलब्धता में उन्हें सेवाओं से मुक्त कर दे और फर्म उस व्यक्ति का प्रतिस्थानी उपलब्ध कराएगी:

परंतु यह कि पैनल की विधि मान्यता के दौरान वित्तीय बोलियों को पैनल में से आमंत्रित किया जाएगा और आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् 'न्यूनतम मूल्य प्रणाली' के आधार पर फर्म को नियोजित किया जाएगा।

13-आयोग का समाधान होने पर वह अपने कृत्यों के निर्वहन में राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थाओं से उनकी विशिष्टता का लाभ लेने के लिए, ऐसी फीस के भुगतान और ऐसे अन्य निबंधनों पर जिन्हें समुचित समझा जाए, समझौता ज्ञापन तैयार करने का विनिश्चय करेगा।

14-आयोग में विचाराधीन विभिन्न मामलों पर सटीक विधिक सलाह लेने के लिए, वह ऐसे निबंधन और शर्तों पर, जो समय-समय पर निर्धारित हों, किसी विधिक फर्म की सेवाओं को अभियोजित करेगा।

7-व्यक्तिशः परामर्शी-

1-आयोग का समाधान होने पर कि परामर्शी सेवाओं की आवश्यकता है जो उसकी राय में किसी व्यक्ति द्वारा, जिसे कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक अर्हताधारी और अनुभवी समझा जाए, और जब ऐसे कार्य का व्यक्तिशः संपादन के आलोक में मापन संभव है, अधिक दक्षता पूर्वक दी जा सकती हैं, तो आयोग व्यक्तिशः परामर्शी अभियोजित करने का विनिश्चय कर सकता है।

2-अध्यक्ष सी ई सी का गठन करेगा जिसमें सचिव, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / लेखा अधिकारी और अध्यक्ष द्वारा नामित निदेशक स्तर के उपयुक्त अधिकारी, समाविष्ट होंगे।

3-सचिवालय संदर्भ के निबंधन तैयार करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कार्य क्षेत्र, पूर्ण किये जाने वाले मानक, प्रत्येक मानक की पूर्णता से जुड़े हुए भुगतानों की अनुसूची, अपेक्षित अनुभव, अर्हता और अभियोजन के निबंधन और शर्तें इंगित होंगी।

4-सी ई सी, आवश्यक उपांतर के बाद, यदि कोई हो, व्यक्तिशः परामर्शी के अभियोजन के लिए संदर्भ के निबंधनों के लिए अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करेगी।

5-सचिव दो समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन के माध्यम से और आयोग की वेबसाइट पर सूचना देकर आवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए यथासंभव तीन सप्ताह की अवधि में आवेदन आहूत करेगा।

6-प्राप्त आवेदनों के आधार पर, सी ई सी, शैक्षिक अर्हता और अनुभव और कार्य निष्पादन परीक्षा और लिया गया साक्षात्कार, यदि कोई हो, के आधार पर, परामर्शी के रूप में नियुक्ति के लिए लघुसूचीयन किया जायेगा, लेकिन इस तक ही सीमित न रहकर, विचार करते हुए व्यक्तियों के पैनल का अनुमोदन करेगी, अर्थात् :-

(क) शैक्षणिक पृष्ठभूमि

(ख) अनुभव

(ग) भाषा, संस्कृति, प्रशासनिक प्रणाली और अन्य सुसंगत घटकों से ओत-प्रोत या युक्तियुक्त कार्यशैली का ज्ञान:

परंतु यह कि सी ई सी पैनल का लघुसूचीयन करते समय कम से कम तीन अभ्यर्थियों की समग्रता पर विचार करेगी:

परंतु यह भी कि तीन अभ्यर्थियों की शर्त को अध्यक्ष के अनुमोदन से शिथिल किया जा सकता है यदि अभ्यर्थियों से पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थन प्राप्त न हुए हों।

7-(सी ई सी द्वारा बनाए गए पैनल से) अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थी को व्यक्तिशः परामर्शी के रूप में अभियोजित किया जाएगा।

8-व्यक्तिशः परामर्शी को, जिसके पास 10 वर्ष से अन्यून सुसंगत अनुभव हो, 'विशिष्ट परामर्शी' की श्रेणी में, और 10 वर्ष से अधिक का सुसंगत अनुभव रखने वाले को 'वरिष्ठ विशिष्ट परामर्शी' की श्रेणी में आवश्यकता के आधार पर अभियोजित किया जाएगा। समेकित फीस शैक्षणिक अर्हताओं, वर्षों का कुल अनुभव, क्षेत्र में कौशल और परिदेयता या योगदान के लिए अपेक्षित ज्ञान के समानुपाती होगी। फीस का ब्यौरा अनुलग्नक-1 में उल्लिखित है। अधिकतम समेकित फीस को आयोग द्वारा पुनरीक्षित किया जा सकता है।

9-व्यक्तिशः परामर्शियों की अधिकतम संख्या, जितनी आयोग द्वारा उचित समझी जाए, जिनकी किसी एक समय में सेवाएं ली जाएंगी, विभिन्न क्षेत्रों में सहायता करने के लिए 10 होगी:

परंतु यह कि आयोग जब उचित समझे तो ऊपर विनिर्दिष्ट व्यक्तिशः परामर्शियों की संख्या में आदेश द्वारा वृद्धि कर सकता है।

10-व्यक्तिशः परामर्शी को प्रारंभ में दो वर्ष की अवधि के लिए अभियोजित किया जाएगा जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 3 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान व्यक्तिशः परामर्शी के कार्य संपादन के आधार पर अध्यक्ष के अनुमोदन से फीस में 10% तक वार्षिक वृद्धि की जा सकती है।

11-विभिन्न श्रेणियों के लिए परामर्शी के रूप में नियुक्त किये जाने वाले आवेदक की आयु विज्ञापन के वर्ष की 1 जनवरी को 62 वर्ष से कम होनी चाहिए:

परंतु यह कि 65 वर्ष की आयु के पश्चात् आयोग में किसी भी व्यक्तिशः परामर्शी की सेवाएं नहीं ली जाएंगी।

12-उपरोक्त किसी भी बात के बावजूद प्रशासन/आई टी/लेखा संबंधी कार्यों के लिए अपेक्षा के आधार पर अध्यक्ष के अनुमोदन से परामर्शियों को नियुक्त किया जा सकता है:

परन्तु यह कि प्रशासन, आई टी/और लेखा संबंधी कार्य के लिए जो सलाहकार पहले से ही आयोग के साथ जुड़े हुए हैं उन परामर्शी की सेवाएं और अवधि और परिलब्धियां उसकी संविदा के निबंधन और शर्तों से शासित होंगी।

8-सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी-

(1) आयोग विषय संबंधी ज्ञान और सुसंगत अनुभव वाले सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, विद्युत क्षेत्र से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के सेवानिवृत्त कर्मचारी, विद्युत नियामक आयोग के सेवानिवृत्त अधिकारी को परामर्शी के रूप में अभियोजित कर सकता है।

(2) सेवाओं के लिए समेकित फीस आयोग के आदेश के अनुसार या राज्य सरकार की वर्तमान पुनः नियुक्ति की नीति के अनुसार होगी।

9-व्यावसायिक विशेषज्ञ-

(1) आयोग आवश्यकता का समाधान होने पर, परामर्शी या परामर्शियों की सेवाओं को लेने का निश्चय कर सकता है जहां पर किसी विद्यमान या नये या बार-बार आने वाले विषय पर उच्च विशिष्टता संपन्न परामर्शी की अपेक्षा हो।

(2) अध्यक्ष सी ई सी का गठन करेगा जिसमें सचिव, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखा अधिकारी और अध्यक्ष द्वारा नामित निदेशक स्तर के उपयुक्त अधिकारी, समाविष्ट होंगे।

(3) सी ई सी प्रस्ताव को मूर्त रूप देगी और उस क्षेत्र में अपेक्षित विशिष्टता रखने वाले व्यावसायिकों की एक सूची तैयार करेगी, जिसमें उनके परामर्शी कार्य को स्वीकार्य करने की इच्छा और प्रत्येक के द्वारा वांछित फीस निहित होगी।

(4) आयोग परामर्शी के रूप में ऐसी फीस के भुगतान पर और ऐसे अन्य निबंधनों पर, जिन्हें उचित समझा जाए, सेवाओं के लिए व्यावसायिक विशेषज्ञ के नाम अनुमोदित करेगा :

परन्तु यह कि इस प्रकार विनिश्चित फीस किसी एक विशिष्ट कार्य संपादन हेतु व्यक्तिशः व्यावसायिक विशेषज्ञ के लिए दस लाख से अधिक नहीं होगी। आयोग के आदेश से फीस को पुनरीक्षित किया जा सकता है।

10-हित की विशृंखलता-

किसी ऐसे कार्य निष्पादन के लिए परामर्शी की सेवाएं नहीं ली जाएंगी जो अन्य ग्राहकों के पूर्ववर्ती या चालू दायित्वों के निर्वहन में अवरोधी हो या जो उन्हें ऐसे उद्देश्यात्मक रूप से और निष्पक्षता से पूरा न कर सकें।

11-शिथिलीकरण की शक्ति-

आयोग लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से इस विनियमावली के किसी उपबंध को शिथिल कर सकता है।

12-संशोधन की सामान्य शक्ति-

आयोग किसी भी समय और ऐसे निबंधनों पर जिन्हें यह उचित समझे, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिनके लिए इस विनियमावली को बनाया गया है, इस विनियमावली के किसी विनियम को संशोधित कर सकता है।

13-निरसन और अपवाद-

(1) इस विनियमावली में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति 2000 और उसके संशोधन इस विनियमावली की अधिसूचना के दिनांक से निरसित हो जाएंगे।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित विनियमावली के अधीन किया गया या किये जाने के लिए आशयित कोई कार्य इस विनियमावली के अधीन किया गया या किये जाने के लिए आशयित समझा जाएगा।

आयोग के आदेश से,
शैलेन्द्र गौर,
सचिव।

अनुलग्नक -1

(क) व्यक्तिशः : परामर्शियों के लिए अधिकतम समेकित फीस-

1-विशिष्ट परामर्शी: रूपये 1,50,000/- प्रतिमास (कर/उपकर को छोड़कर, यदि लागू हो)।

2-वरिष्ठ विशिष्ट परामर्शी: रूपये 2,50,000/- प्रतिमास (कर/उपकर को छोड़कर, यदि लागू हो)।

(ख) पात्रता की स्थिति में, ऊपर इंगित फीस में 10% से अनधिक की अतिरिक्त फीस, सी ई सी की संस्तुति के आधार पर अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात् प्रारंभिक सेवा के समय स्वीकृत की जा सकती है।

No. UPERC/Secy./Regulation/003

Dated Lucknow, November 29, 2023

In exercise of powers conferred under Section 181 *read* with Section 91(4) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely: -

1. Short Title and Commencement–

(1) These regulations may be called the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) Regulations, 2023.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions–

(1) In these regulations unless the context otherwise requires-

(a) “Act” means the Electricity Act, 2003;

(b) “Chairperson” means the Chairperson of the Commission;

(c) “Member” means the Member of the Commission;

(d) “Commission” means the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission;

(e) “Consultant” includes any individual, firm, body or association of persons, not in the employment of the Commission, who or which possesses or has access to any specialized knowledge, experience or skill;

(f) “Consultancy Evaluation Committee” or “CEC” means the committee constituted under Regulations 6, 7 and 9;

(g) “Officer” means the officer of the Commission;

(h) “Secretariat” means secretariat of the Commission which includes Officer(s) having knowledge in the area of work for which the consultancy services are to be obtained;

(i) “Secretary” means the Secretary of the Commission.

(2) Save as aforesaid and unless repugnant to the context or if the subject matter otherwise requires, words or expressions used in these regulations and not defined herein, but defined in the Act, shall have the same meaning as in the Act.

3. Scope of Work–

(1) Consultants may be engaged for the following purposes, namely, -

(a) Providing expert advice on specific issues of relevance and interest to the Commission;

(b) Conducting study of best practices, analyzing data, developing benchmarks, or for any other similar purpose;

(c) Performance of tasks requiring experience and qualifications which are either not available within the Commission or, in the opinion of the Commission, the engagement of consultant shall be a more efficacious and efficient method of completing the task in terms of quality, time or for any other consideration;

(d) Assisting the Commission in performing their functions, if the Commission is satisfied that there has been increase in quantum of work in the Commission or regular posts could not be filled due to various constraints;

(e) Performing such other functions and for generally assisting the Commission in the performance of its functions, if the Commission considers it necessary.

4. Period of Engagement–

Consultants shall be engaged for the minimum period as required and in no case engagement of consultant shall exceed a continuous period of four years.

5. Categorization of Consultants–

Consultants shall be categorized as:

(a) Professional Consultancy Firms;

(b) Individual Consultants ;

(c) Retired Government Employees;

(d) Professional Experts.

6. Professional Consultancy Firms–

(1) The Commission, on being satisfied that there is a need for availing consultancy services which, in its opinion, may be more appropriately provided by a firm, or a company or an association or body of persons or when team work comprising of more than two resources from diverse background such as technical, regulatory, finance and legal *etc.* are required to efficiently perform any particular assignment, may decide to engage professional consultancy firms which have proven past experience of similar assignments across various states and stakeholders. Mention of professional consultancy firm in this Regulation shall also include consortium.

(2) The Secretariat shall prepare the bid documents including the terms of reference indicating among others the scope of the work, various deliverables, milestones and the schedule of payments linked to achievement of each milestone and draft contract.

(3) The Chairperson shall constitute the CEC comprising the Secretary, Senior Finance and Accounts Officer/Account Officer, and an appropriate Officer of the rank of Director as nominated by the Chairperson.

(4) The CEC shall, after necessary modification, if any, obtain approval of the Commission for the bid documents including the terms of reference for engagement of a consultant.

(5) The CEC, shall decide the weightage to be allocated to each of the parameters for the purpose of evaluation of bids, allocating minimum 70% weightage to technical proposal of the bid documents:

Provided that the limit of allocation of 70% weightage to technical proposal may be increased subject to a maximum of 80% if the Commission feels it appropriate based on the nature of assignment.

(6) After finalizing the weightages under clause (5), the Secretary shall invite single stage bids, containing technical and financial proposals in separate sealed envelopes, through publication of notice in at least two news papers and also on the Commission's website giving, as far as possible, a notice of not less than three weeks:

Provided that in matters of urgency, the period of notice may be reduced to less than three weeks but shall not be less than two weeks, as may be decided with the approval of the Chairperson.

(7) The CEC shall evaluate the bids through 'Combined-Quality-Cum-Cost-Based System' based on the pre-determined weightages allocated to each of the parameters:

Provided that the CEC shall not proceed with evaluation of bids, unless at least three valid bids have been received:

Provided further that the condition of three valid bids may be relaxed with the prior approval of the Commission in case the adequate number of bids are not received.

(8) The professional consultancy firm shall be engaged after obtaining the approval of the Commission.

(9) The appointment of the professional consultancy firm shall be either on retainerhip or milestone linked based on the nature of assignment and shall be specified in the bid documents.

(10) The professional consultancy firm appointed for an assignment based on the procedure specified in this Regulation shall deploy number of resources as specified in the bid documents.

(11) Notwithstanding anything contained in this Regulation, in matters of urgent nature and involving financial commitment not likely to exceed Rs. Ten lakhs, the Commission may avail consultancy services of professional consultancy firm on the basis of single sourcing without tender process.

(12) Notwithstanding anything contained in this Regulation, for consulting assignments in Commission, the CEC with the approval of the Commission may shortlist and prepare a panel of professional consultancy firms/ agencies/ institutions/ universities based on evaluation on the pre-specified criteria as specified, of responses received against Expression of Interest through advertising on the Commission's website and newspaper advertisement. Enquiry for seeking Expression of Interest shall include among others, the broad type of consulting assignments, eligibility and the pre-qualification criteria to be met by the consultants, consultant's past experience in similar work or service. The number of short-listed professional consultancy firms/ agencies/ institutions/ universities shall be limited to a maximum of three.

The panel prepared by the CEC after approval of the Commission shall be valid for two years. The Commission may further extend the validity of the panel for one more year.

The Commission has the option to engage consultancy services either through milestone-based contracts or by selectively hiring individual experienced consultants of the firms in the panel in accordance with its specific needs. The Commission shall have the right to release the consultants deployed in case of lack of performance/ ability or unavailability of the individual and the firm will provide the replacement of the individual:

Provided that during the validity of panel, the financial bids shall be invited from the panel and the firm shall be engaged on the basis of 'Least Cost System' after obtaining approval of the Commission.

(13) The Commission on being satisfied, may decide to enter into a memorandum of understanding with Nationally or Internationally reputed institutions to benefit from their expertise in discharge of its functions, on payment of such fee and on such other terms as may be considered appropriate.

(14) The Commission may engage the services of a law firm on such terms & conditions as may be decided from time to time, for seeking expert legal advice on various matters under consideration of the Commission.

7. Individual Consultants–

(1) The Commission, on being satisfied that there is a need for availing consultancy services which in its opinion can be more efficiently performed by individuals, having qualification and experience considered essential for an assignment and when such task is measurable in terms of individual performance, may decide to engage individual consultants.

(2) The Chairperson shall constitute the CEC comprising the Secretary, Senior Finance & Accounts Officer/ Account Officer, and an appropriate Officer of the rank of Director as nominated by the Chairperson.

(3) The Secretariat shall prepare the terms of reference indicating among others the scope of the work, milestones to be achieved, the schedule of payments linked to achievement of each milestone, the experience and qualification required and the terms and conditions of engagement.

(4) The CEC shall, after necessary modification, if any, obtain approval of the Chairperson for the terms of reference for engagement of individual consultant.

(5) The Secretary shall call for applications through publication of notice in two newspapers and on the Commission's website giving, as far as possible, a period of at least three weeks for submission of applications.

(6) Based on the applications received, the CEC shall, on the basis of the educational qualifications and experience and performance test or interview, if any, shortlist a panel of persons, for appointment as consultant, having regard to, but not limited to, the following, namely:-

(a) Academic background;

(b) Experience;

(c) Knowledge of the working environment such as language, culture, administrative system and other relevant factors:

Provided that the CEC shall, while short listing the panel shall consider the profile of atleast three candidates:

Provided further that the condition of three candidates may be relaxed with the approval of the Chairperson, if the responses from sufficient number of candidates are not received.

(7) The candidate (from the panel prepared by the CEC) approved by the Chairperson shall be engaged as individual consultant.

(8) Individual Consultant shall be engaged on retainership basis in the category of "Specialist Consultant" having relevant experience of less than 10 years or in the category of "Senior Specialist Consultant" having relevant experience of more than 10 years. The consolidated fee shall be commensurate with their academic qualifications, total experience in number of years, domain expertise and knowledge required for the deliverables. The details of the fee are mentioned in Annexure-1. The maximum consolidated fee may be revised by the Commission through an Order.

(9) The maximum numbers of individual consultants that can be deployed at any point of time shall be limited to ten for assisting in various fields, as considered appropriate by the Commission:

Provided that the Commission, when it deems necessary, may extend the limit of number of individual consultants as specified above through an order.

(10) Individual consultant shall be engaged initially for a period of two years, extendable upto 3 years upon approval of the Chairperson. An annual escalation upto 10% on the fee may be given with the approval of the Chairperson based on the performance of the individual consultant during the preceding year.

(11) The age of the applicant to be appointed as individual consultant for different categories as on 1st January of the year of advertisement shall be below 62 years:

Provided that no individual consultant would be retained in the Commission after attaining the age of 65 years.

(12) Notwithstanding anything above, for Administration/ IT/ Accounts related works, Consultants may be appointed upon approval of the Chairperson depending on the requirement:

Provided that for the consultants already engaged with the Commission for Administration, IT and Accounts related works, the duration of the deployment and emoluments shall be governed as per the terms and conditions of their contract.

8. Retired Government Employees–

(1) The Commission may engage retired Government employees, retired employees of PSUs related to power sector, or retired officers of Electricity Regulatory Commissions as consultant(s) who have subject knowledge and relevant experience.

(2) Consolidated fee for engagement shall be as per the Governing order(s) of the Commission or as per the extant policy of the State Government for reappointment.

9. Professional Experts–

(1) The Commission, on being satisfied for the need, may decide to engage consultant(s) where a highly specialized consultation is required on any existing or new or evolving subject.

(2) The Chairperson shall constitute the CEC comprising the Secretary, Senior Finance & Accounts Officer/ Account Officer, and an appropriate Officer of the rank of Director as nominated by the Chairperson.

(3) The CEC shall formalize the proposal and prepare a list of professionals having the requisite expertise in the field, willingness to accept consultancy work and the fee demanded by each of them.

(4) The Commission may approve the name of the professional expert for engagement as consultant on payment of such fee and on such other terms as may be considered appropriate:

Provided that the fee so decided shall not exceed Rs. Ten lakhs for an individual professional expert for a specific assignment. The fee may be revised by the Commission through an order.

10. Conflict of Interest–

Consultants shall not be engaged for any assignment that would be in conflict with their prior or current obligations to other clients or that may place them in a position of not being able to carry out the assignments objectively and impartially.

11. Power to Relax–

The Commission may, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations.

12. General Power to Amend–

The Commission may, at any time and on such terms as it may deem fit, amend any of these regulations for the purpose of meeting the objectives with which these regulations have been framed.

13. Repeal and Saving–

(1) Save as otherwise provided in these regulations the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) Regulations, 2000 and its amendments shall stand repealed from the date of notification of these regulations.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or purported to have been done under the repealed regulations shall be deemed to have been done or purported to have been done under these regulations.

By the order of Commission,
SHAILENDRA GAUR,
Sachiv.

ANNEXURE-1

A. Maximum consolidated fee for Individual Consultants:

1. Specialist Consultant: ₹ 1,50,000/- per month (excluding tax/cess, if applicable)
2. Senior Specialist Consultant: ₹ 2,50,000/- per month (excluding tax/cess, if applicable)

B. In deserving cases, an additional fee not exceeding 10% of the fees indicated above may be granted at the time of initial engagement on the basis of the recommendations of the CEC and after approval by the Chairperson.